


20.05.2025:-पत्रावली आज वादीया जरिय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अरोडा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण के साथ लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा हो गया। इसलिए वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते वाद पत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विद्वा फरमाया जावे। वादीया अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादीया की पहचान वादीया अधिवक्ता द्वारा कि गई। वादीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

